

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/02-भू0अ0नि0-राज्य यो0(आरोप)सुपौल-32/2023.6752 पटना, दिनांक : 04/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 424 दिनांक 16.03.2023 द्वारा सुश्री श्वेता पटेल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01059) के विरुद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 03.02.2023 से लगातार अनुपस्थित हैं, जिसके फलस्वरूप सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित है। अनुपस्थित रहने के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 2709 दिनांक 13.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। सुश्री पटेल द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि इनकी शादी दिनांक 22.02.2023 को हुई है, इसलिए ये अवैतनिक अवकाश में हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन, सुश्री पटेल से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा स्पष्टीकरण में शादी हो जाने के कारण अवैतनिक अवकाश में रहने का उल्लेख किया गया है, परन्तु अवैतनिक अवकाश स्वीकृति से संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो इनके कथन को प्रमाणित करता हो। अवकाश संबंधी प्रावधान के अनुसार किसी भी अवकाश का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है एवं अवकाश में जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार से अनुमति ली जानी है। इससे स्पष्ट है कि ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं मनमानापन का परिचायक है। इनका यह कृत्य लगाए गए आरोप को प्रमाणित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, जिसमें इनकी सहभागिता की आवश्यकता है, परन्तु इनके कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण निर्धारित लक्ष्य बाधित हुआ है। ऐसे कर्मियों का संविदा नियोजन बनाए रखने से इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है। इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम - 8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री श्वेता पटेल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01059) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी-27/2022.6752 पटना, दिनांक : 04/09/2023

प्रतिलिपि :- सुश्री श्वेता पटेल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01059), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढी-27/2022⁶²⁵² पटना, दिनांक : 04/09/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढी-27/2022⁶²⁵² पटना, दिनांक : 04/09/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित सुश्री पटेल की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण